RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक १९(२)] बुधवार, जुलै १, २०१५/आषाढ १०, शके १९३७ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २९

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित १६ जून २०१५ ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XIV OF 2015.

AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1963.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १४ सन् २०१५।

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

सन् १९६४ का महा. २०।

अब, इसलिए, भारत संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ कहलाए ।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा १३ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ की धारा १३, की उप-धारा (१ख) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६४ का महा. २०।

" (१ग) (क) राज्य सरकार **राजपत्र** में किसी आदेश द्वारा,—

(एक) चार विशेष निमंत्रित, प्रत्येक बाजार समिति पर जिसकी आय धारा ३१ की उप-धारा (१) के अधीन उद्ग्रहित और संग्रहित फीस से सद्य पूर्ववर्ती बाजार वर्ष में पाँच करोड से अधिक है ; और—

(२) दो विशेष निमंत्रित, प्रत्येक बाजार समिति पर जिसकी आय धारा ३१ की उप-धारा (१) के अधीन उद्ग्रहित और संग्रहित फीस से सद्य पूर्ववर्ती बाजार वर्ष में पाँच करोड रुपयों तक है, को जो कृषि, कृषक प्रसंस्करण, कृषि विपणन, विधि, आर्थिक या वाणिज्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे, को नियुक्त कर सकेगी।

(ख) खंड (क) के अधीन नियुक्त विशेष निमंत्रितियों को, बाजार समिति के विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा परंतु, उसकी बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(ग) विशेष निमंत्रितियों की पदावधि बाजार समिति के सदस्यों के पदावधि के साथ ही सह पर्यवसित होगी ।"।

वक्तव्य ।

बाजार क्षेत्रों में, कृषक और कतिपय अन्य उपज के विपणन और राज्य में इसलिये स्थापित निजी बाजारों और किसान ग्राहक बाजारों समेत बाजारों के विकास और विनियमन के लिये ; ऐसे बाजार के संबंध में गठित या संबंधित प्रयोजनों के लिये कार्य कर रहीं बाजार समितियों को शक्ति प्रदान करने के लिये महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०), अधिनियमित किया गया है ।

२. इस अधिनियम के अधीन गठित बाजार समितियों के प्रभावी और सुचारू कार्य करने के उद्देश से, महाराष्ट्र सरकार, बाजार समितियों पर विशेष निमंत्रितियों के रुप में कृषि, कृषि प्रसंस्करण, कृषि विपणन, विधि, वित्त और वाणिज्य क्षेत्रों में से विशेषज्ञों की नियुक्ति करना इष्टकर समझती है, ताकि बाजार समिति को, ऐसे विशेषज्ञों के ज्ञान द्वारा लाभ होगा । यह उपबंध करने के लिये भी प्रस्तावित किया गया है कि ऐसे विशेष निमंत्रितियों को समिति की चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु, मत देने का अधिकार नहीं होगा । उस प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की धारा १३ में एक नयी उप-धारा (१ग) की निविष्टि करने का प्रस्तावित किया गया है ।

३. क्योंकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है ।

मुम्बई,
दिनांकित १२ जून २०१५।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

डॉ. सुधीर कुमार गोयल,
सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.